रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2016/माघ 30, 1937
No. 75] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2016/ MAGHA 30, 1937

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विष्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.)

अधिसूचना

अमरकंटक, 4 फरवरी, 2016

परिनियम–2

कुलपति

संषोधित परिनियम 2(4)

कुलपति का पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण होने अथवा सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, कुलपति पद पर आसीन रहेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

संषोधित परिनियम–2(5)(i)

कुलपति की सेवा, परिलब्धियाँ एवं अन्य शर्तें निम्नानुसार होंगेः

(i) कुलपति को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित मकान भाड़ा–भत्ता के अतिरिक्त मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते देय होंगे। कुलपति अपने पूरे कार्यकाल के दौरान किराये की अदायगी किए बिना सुसज्जित युक्त आवास का उपयोग करने के हकदार होंगे, इस आवास के रख–रखाव से सम्बन्धित किसी प्रकार का खर्च कुलपति द्वारा देय नहीं होगा। कुलपति विश्वविद्यालय के वाहन का निशुल्क उपयोग करने के पात्र होंगे।

परिनियम–10

विष्वविद्यालय कोर्ट (कोर्ट की बैठक)

संषोधित परिनियम 10(5)

कोर्ट में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(क) कुलाधिपति (पदेन)

(ख) कुलपति (पदेन)

(ग) कार्य परिषद के सभी सदस्यगण

(घ) क्षेत्रीय परिसर के दो निदेशक

(च) वरीयता के अनुसार रोटेशन से नियुक्त, तीन विभागाध्यक्ष

(छ) वरीयता के अनुसार रोटेशन से नियुक्त, विभागों के दो आचार्य

(ज) विश्वविद्यालय में कार्यरत् आचार्यों के अलावा अनुसूचित जनजाति से तीन चुने व्यक्ति अध्यापक, कर्मचारी और विद्यार्थी।

(झ) अनुसूचित जनजाति सदस्यों में से चुने गए सांसदों के तीन प्रतिनिधि, जिनमें से दो का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और एक का अध्यक्ष राज्यसभा द्वारा किया जाएगा।

(ट) विश्वविद्यालय के विज़िटर द्वारा नामांकित पाँच सदस्य जिनकी सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा हो या शिक्षा के क्षेत्र में जो विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हों, या जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा प्रदान की हो।

(ठ) कुलसचिव कोर्ट के सदस्य सचिव होंगे। कोर्ट के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति कोरम पूरा करेगी।

पदेन सदस्यों को छोड़ कर कोर्ट के अन्य सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का ही होगा।

परिनियम–11

कार्य परिषद

संषोधित परिनियम 11

कार्य परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(क) कुलपति (पदेन)

(ख) रेक्टर (पदेन)

(ग) क्षेत्रीय परिसर का एक निदेशक

(घ) वरीयता के अनुसार रोटेशन से नियुक्त, एक संकायाध्यक्ष

(च) वरीयता के अनुसार रोटेशन से नियुक्त, दो प्रोफेसर

(छ) कोर्ट के सदस्यों में से चुने गए दो सदस्य

(ज) विज़िटर द्वारा नामांकित दो सदस्य जिनमें से एक महिला हो

(झ) सचिव, उच्च शिक्षा, भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति

(ट) सचिव, उच्च, शिक्षा, राज्य सरकार

(ठ) साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के चार सदस्य।

(ड) कुलसचिव, सचिव होंगे।

(ढ) कार्य परिषद् के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति कोरम पूरा करेगी।

कार्य परिषद के सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।

परिनियम–13

विद्या परिषद

संषोधित परिनियम–13

विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(क) कुलपति

(ख) रेक्टर

(ग) समस्त संकायाध्यक्ष

(घ) क्षेत्रीय परिसरों के निदेशकगण

(च) समस्त विभागाध्यक्ष

(छ) समस्त आचार्य जो किसी विभाग के विभागाध्यक्ष नहीं हैं।

(ज) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

(झ) दो उपाचार्य (कुलपति द्वारा नामांकित)

(ट) चार सहायक प्राध्यापक (कुलपति द्वारा नामांकित)

(ठ) अपने विशेष ज्ञान के लिए विद्या परिषद द्वारा सहयोजित पाँच व्यक्ति

विद्या परिषद के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति कोरम पूरा करेगी।

परिनियम—15

संकाय एवं विभाग

संशोधित परिनियम— 15(I) —

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निम्नलिखित संकाय होंगे—

(क) उपक्रमात्मक (Preparatory) संकाय

(ख) सामाजिक विज्ञान संकाय

(ग) मानविकी एवं भाषाशास्त्र संकाय

(घ) वाणिज्य और प्रबन्धन संकाय

(च) विज्ञान संकाय

(छ) कम्प्यूट्रॉनिक्स संकाय

(ज) जनजातीय शिक्षा संकाय

(झ) शिक्षा संकाय

(ट) जनसंचार और पत्रकारिता संकाय

(ठ) विधि संकाय

(ड) फार्मेसी संकाय

परिनियम—18

चयन समिति

संशोधित परिनियम— 18(1 एवं 2)

(1) चयन समितियाँ कार्य परिषद के समक्ष आचार्य, उपाचार्य, सहायक प्राध्यापक, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष, विद्यालयों के प्राचार्य तथा क्षेत्रीय परिसर/केन्द्र के निदेशक के चयन के लिए अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेंगी,

(2) निम्नलिखित सारणी के कालम एक में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में कुलपति, विजिटर द्वारा मनोनीत एक सदस्य और कालम दो में निर्दिष्ट व्यक्ति होंगे।

सारणी

आचार्य	(1) संकायाध्यक्ष (2) विभागाध्यक्ष, यदि वे आचार्य हैं (3) तीन व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों तथा जो अपने विशेष ज्ञान और आचार्य पद से सम्बन्धित विषय में रुचि रखने के कारण विद्या परिषद द्वारा अनुशंसित पैनल में से कार्य परिषद द्वारा मनोनीत किए गऐ हों।
उपाचार्य/ सहायक प्राध्यापक	(1.) विभागाध्यक्ष (2) कुलपति द्वारा मनोनीत एक आचार्य (3) दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों तथा जो अपने विशेष ज्ञान और उपाचार्य/सहायक प्राध्यापक पद सम्बन्धित विषय में रुचि रखने के कारण विद्या परिषद द्वारा अनुशंसित पैनल में से कार्य परिषद द्वारा मनोनीत किए गए हों।
कुलसचिव/ वित्त अधिकारी	(i) कार्य परिषद द्वारा मनोनीत कार्य परिषद के दो सदस्य (ii) कार्य परिषद द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो
पुस्तकालयाध्यक्ष	(i) कार्य परिषद द्वारा मनोनीत दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों और जिनका पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय प्रशासन विषयों में विशेष ज्ञान हो (ii) कार्य परिषद द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो

विद्यालय के प्राचार्य/क्षेत्रीय परिसरों के निदेशक	(i) तीन व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, इनमें से दो कार्य परिषद द्वारा और एक विद्या परिषद द्वारा मनोनीत किए जायेंगे जो इस क्षेत्र में अपने विशेष ज्ञान, रुचि और विद्यालय/संस्थान सम्बन्धी दिशा–निर्देशों की जानकारी रखते हों।

नोट–1. अंतर्विद्यावती परियोजना के लिए की जा रही नियुक्तियों में परियोजना प्रमुख को संबद्ध विभाग का विभागाध्यक्ष माना जाएगा।

नोट–2. कुलपति द्वारा मनोनीत आचार्य उस विषय का विशेषज्ञ होगा जिसके लिए चयन किया जाना है। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष से परामर्श करके कुलपति विशेषज्ञ को मनोनीत करेंगे।

एस. एल. स्वामी, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन– III/4/असा./376/377]

INDIRA GANDHI NATIONAL TRIBAL UNIVERSITY, AMARKANTAK, M.P.

NOTIFICATION

Amarkantak, the 4th February, 2016

STATUTE -2

THE VICE-CHANCELLOR

Amended Statute 2 (4)-

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of Seventy years, whichever is earlier, and he shall be eligible for re-appointment

Amended Statute 2 (5) (i)-

The emoluments and other conditions of service of the Vice Chancellor shall be as follows:-

i. The Vice-Chancellor shall be paid a monthly salary and allowance other than house rent allowance at the rates fixed by the Central Government from time to time, and he shall be l of such residence. He would be entitled to free use of University Car;

STATUTE -10

UNIVERSITY COURT (MEETING OF COURT)

Amended Statute 10 (5)-

The Court shall consist of following members

(a) Chancellor (Ex Officio)

(b) The Vice-Chancellor (Ex Officio)

(c) All the Members of the Executive Council.

(d) Two Directors of the Regional Campus.

(e) Three persons being Heads of Department appointed by rotation according to seniority.

(f) Two professors from the Departments of Studies of the University appointment by rotation according to seniority.

(g) Three elected persons form amongst the teachers, employees and the students other than Professors amongst the Scheduled Tribe of the University.

(h) Three representatives of the Members of Parliament, two of them to be nominated by the Speaker of Lok Sabha and one to be nominated by the Chairman of Rajya Sabha from amongst the Scheduled Tribes members.

(i) five persons nominated by the visitor from amongst the persons who are men of standing in public life or have special knowledge or practical experience in education or have rendered eminent services in the field of education.

(j) Registrar shall be Member Secretary of the Court. One third members of the Court shall form quorum.

All members of the Court other than ex-officio members shall hold office for a term of three years.

STATUTE -11

EXECUTIVE COUNCIL

Amended Statute 11

The Executive Council shall consist of following members

a. The Vice-Chancellor (Ex-Officio)

b. The Rector (Ex-officio)

c. One Director of the Regional Campuses

d. One Dean by the rotation according to seniority

e. Two Professors by the rotation according to seniority.

f. Two elected members from the Court.

g. Two members nominated by the Visitor amongst them one should be woman.

h. Secretary of Higher Education, Government of India or his nominee.

i. One representative of Scheduled Tribe Commission, Government of India.

j. Secretary, Higher Education of the state.

k. Four members from Mother NGO's, Literary and Cultural Fields.

l. Registrar shall be Secretary.

One third members of the Executive Council will form the quorum. The members of the Executive Council shall hold the office for a term of three years.

STATUTE -13

ACADEMIC COUNCIL

Amended Statute 13

The Academic Council shall consist of following members

(a) The Vice-Chancellor

(b) The Rector

(c) The Deans of the Faculties

(d) The Directors of the Regional Campuses

(e) All the Heads of the Departments

(f) All Professors who are not heads of Teaching Departments

(g) The Dean of Students Welfare

(h) Two Associate Professors (nominated by the Vice-Chancellor)

(i) Four Assistant Professor (nominated by the Vice-Chancellor)

(j) Five persons Co-opted by the Academic Council for their specialized knowledge.

1/3 members of the existing members of Academic Council shall form the Quorum.

STATUTE -15

FACULTIES AND DEPARTMENTS

Amended Statute 15(1)-

(1) University shall have following faculties -

i. Preparatory faculty
ii. Faculty of Social Science
iii. Faculty of Humanities and Philology
iv. Faculty of Commerce & Management
v. Faculty of Science
vi. Faculty of Computronics
vii. Faculty of Tribal Studies
viii. Faculty of Education
ix. Faculty of Mass Communication Journalism
x. Faculty of Law
xi. Faculty of Pharmacy

STATUTE -18

THE SELECTION COMMITTEE

Amended Statute 18(1 & 2)-

(1) There shall be Selection Committees for making recommendations to the Executive Council for appointment to the post of Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Registrar, finance Officer, Librarian, Principal of Colleges and Institute and Director of the Regional Campus/Centres mentioned by the University.

(2) The Selection Committee for appointment to the posts specified in column 1 of the Table below shall consist of the Vice-Chancellor, a nominee of the Visitor and the persons specified in the corresponding entry in column 2 of said Table:

TABLE

1	2
Professor	(i) The Dean of the Faculty. (ii) The Head of the Department, if he is a Professor. (iii) Three persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in, the subject with which the Professor is concerned.
Associate Professor/Assistant Professor	(i) The Head of the Department. (ii) One Professor nominated by the Vice Chancellor (iii) Two persons not in the service of the University nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in, the subject with which the Associate Professor/Assistant Professor is concerned.

Registrar/Finance Officer	(i) Two members of the Executive Council nominated by it. (ii) One person not in the service of the University nominated by the Executive Council.
Librarian	(i) Two persons not in the service of the University who have special knowledge of the subject of Library Science/Library Administration, nominated by the Executive Council. (ii) One person not in the service of the University, nominated by the Executive Council.
Principal of College of Institution/Director of Regional Campuses	Three persons not in the service of the University of whom two shall be nominated by the Executive Council and one by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in, a subject in which instruction is being provided by the College or Institution.

Note 1–Where the appointment is being made for an interdisciplinary project, the head of the project shall be deemed to be the Head of the Department concerned.

Note. 2–The Professor to be nominated by the Vice-Chancellor shall be a Professor concerned with the speciality for which the selection is being made and the Vice-Chancellor shall consult the Head of the Department and the Dean of School before nominating the Professor.

S. L. SWAMY, Registrar

[ADVT-III/4/Exty./376/377]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.